

27⁹/₂₀₂₃

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी व वकील प्रार्थी अनुप
षार-वार आवेदन दिखवायी जाने पर भी प्रार्थी
की झोंर से कोई उपस्थित नहीं। अतः प्रार्थी
का प्रारण अर्थात् हाजरी अर्थात् वेरवी में
खरीज किया जाता है। पत्रावली केसका
शुमार होकर नम्बर से फर होकर दफ्तर
दाखल है।



राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)